उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-४
संख्या 974/647वि०अनु०4/2003
देहरादून : दिनांक ४ अगस्त, २००३

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तरांचल कोषागार अधीनस्थ संवर्ग में भर्ती और उसके नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तरांचल कोषागार अधीनस्थ संवर्ग नियमावली - 2003

भाग - एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तरांचल कोषागार अधीनस्थ सेवा नियमावली-2003 कही जायेगी ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति 2- उत्तरांचल कोषागार अधीनस्थ संवर्ग एक राजपत्रित/अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह "ख" एंव "ग" के पद समाविष्ट है ।

परिभाषाएँ 3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य लेखा लिपिक, लेखा लिपिक (रोकड़) सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार (रोकड़), लेखाकार व लेखाकार (रोकड़), के पदों के लिये सम्बन्धित "जिलाधिकारी" तथा सहायक/उपकोषाधिकारी एंव सहायक कोषाधिकारी (रोकड), के लिये "निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून" से है ।

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ।

(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है ।

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ।

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन "मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ।

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल कोषागार अधीनस्थ सेवा से है ।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ।

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4

4 – सेवा की सदस्य संख्या :–

(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक उपनियम–(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाँय सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट है ।

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन – भर्ती

भर्ती का स्त्रोत 5

भर्ती का स्त्रोत:– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी:–

(क) लेखा लिपिक/लेखा लिपिक (रोकड):–

1.सीधी भर्ती द्वारा अथवा

2. जिले के कोषागार/कोषागारों एंव उपकोषागारों में समूह "घ" के कर्मचारियों में से कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन से समय–समय पर जारी निर्धारित प्रतिशत तक की पदोन्नति द्वारा ।

(ख) सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़):–

जिले के कोषागार/कोषागारों एव उपकोषागारों में से स्थायी लेखा लिपिक/लेखा लिपिक (रोकड) के पदधारकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति करते हुये, जिन्होंने भर्ती के वर्ष में इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।

परन्तु पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड) के पदों को सीधी भर्ती से भरा

जायेगा ।

(ग) लेखाकार / लेखाकार (रोकड़):—

जिले के कोषागार / उपकोषागारों में स्थायी सहायक लेखाकार / सहायक लेखाकार (रोकड) के पद धारकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।

जनपद में सृजित सहायक लेखाकार / सहायक लेखाकार (रोकड) के पदों का 80प्रतिशत / 20प्रतिशत का अनुपात सुनिश्चित करते हुए लेखाकार के पदों पर पदोन्नत किया जायेगा अथवा पदों की संख्या हेतु समय- समय पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार पदनाम एंव संख्या (अनुपात) निर्धारित किया जायेगा।

(घ) सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी (रोकड़):—

सम्बद्ध जिले के कोषागार / कोषागारों में से कोषागार लेखाकार / कोषागार लेखाकार (रोकड) के पद धारकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करली हो ।

टिप्पणी :-1. परिशिष्ट "ख" में प्रदर्शित वर्तमान में कैश शाखा में कार्यरत मृत संवर्ग के पदधारक यथा सहायक रोकडिया को लेखा लिपिक (रोकड़), उपरोकडिया को सहायक लेखाकार (रोकड़), रोकडिया को कोषागार लेखाकार (रोकड) तथा मुख्य रोकडिया को सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) पदनाम किया गया है। मृत संवर्ग घोषित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने तक इनकी अपने–अपने पोषक संवर्ग में परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो इस नियमावली के लागू होने की तिथि को "उत्तर प्रदेश कोषागार (रोकड शाखा) लिपिक वर्ग सेवा नियामावली, 1987" के अनुसार अपने अपने पोषक संवर्ग में रही है परन्तु प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया इस नियमावली के अधीन नियम–5 एंव नियम–16 तथा इनके उपनियमों के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण की जायेगी। मृत संवर्ग के उच्च पदों पर सभी की पदोन्नति करके भरे जाने पर निचले क्रम में रिक्त पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगें ।

2. कैश शाखा में कार्यरत मृत संवर्ग के सहायक कोषाधिकारी (रोकड) के पद
को पदोन्नति द्वारा, यदि कोषागार लेखाकार (रोकड) मृत संवर्ग में उपलब्ध न
हों अथवा अर्ह न हों की स्थिति में कैश शाखा के मृत संवर्ग में कार्यरत ऐसे
सहायक लेखाकार (रोकड़) जिन्होंने इस रूप में कम से कम 7वर्ष की सेवा
पूर्ण कर ली हो ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये
भरा जायेगा ।

3. भविष्य में नियुक्तियों का स्त्रोंत एक होगा परन्तु लेखा शाखा एवं कैश शाखा
में तैनाती के अनुसार कर्मचारी का पदनाम होगा और ऐसे पदधारकों का
पोषक संवर्ग अलग–अलग न होकर सम्मिलित रूप से एक ही पोषक संवर्ग
होगा ।

आरक्षण- 6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती / प्रदोन्नति के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा ।

भाग--चार--अर्हतायें

राष्ट्रीयता -7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो , या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी/ 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया या (पूर्ववर्ती) तांगानिका और जंजीबार से प्रब्रजन किया हो .

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो.

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण--पत्र प्राप्त कर ले ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण--पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा मे इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी :- 2. ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8- (1) लेखा लिपिक/लेखा लिपिक (रोकड़) के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी वाणिज्य में इण्टरमीडिएट एकाउन्टेन्सी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए. उसे देवनागरी लिपि में पढने एंव लिखने का ज्ञान होना चाहिए । इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर में कार्य करने के ज्ञान के साथ–साथ कम्प्यूटर पर आधारित कार्य का प्रमाण–पत्र भी होना चाहिए । कम्प्यूटर पर 4000 "की डिप्रेशन" प्रति घंटा की गति होनी चाहिए ।

(2) सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास एकाउन्टेन्सी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए. और उसे देवनागरी लिपि मे पढने एंव लिखने का ज्ञान होना चाहिए । इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर में कार्य करने के ज्ञान के साथ–साथ कम्प्यूटर पर आधारित कार्य का प्रमाण–पत्र भी होना चाहिए । कम्प्यूटर पर 4000 "की डिप्रेशन" प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, अथवा

(2)(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या भौतिक शास्त्र के साथ

स्नातक की उपाधि वाले अभ्यर्थी जिन्हें देवनागरी लिपि में पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान हो और कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेज्युऐट अथवा कम्प्यूटर में "ओ" लेविल या इसके समकक्ष का कोर्स किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किया हो अथवा कम्प्यूटर विषय से इन्जीनियरिंग उपाधि हो ।

अधिमानी अर्हता 9- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो ,या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो या विश्वविद्यालय से एन0एस0एस0 का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो ।
(तीन) कम्प्यूटर का "ओ" लेविल या इसके समकक्ष का कोर्स मान्यता प्राप्त संस्था से किया हो ।

आयु 10- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस नियुक्ति वर्ष में रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय उस वर्ष की पहली जुलाई को 21वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, ऐसे अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र 11- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी:- 3- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें ।

वैवाहिक प्रास्थिति 12- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वास्थता किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे

13- सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को सीधी नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि :-

(क) वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण--पत्र प्रस्तुत करे ।

भाग –पॉच– भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15- (1) लेखा लिपिक / लेखा लिपिक (रोकड) व सहायक लेखाकार तथा सहायक लेखाकार (रोकड) के पद पर सीधी भर्ती सम्बद्ध जिले का जिलाधिकारी इनके लिये नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित कोई विशेष प्रक्रिया यदि लागू हो उसके अधीन अथवा जिला स्तर पर स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत की जायेगी । यदि राज्य सरकार द्वारा अलग से कोई प्रक्रिया निर्धारित न की जाय तब सीधी भर्ती के प्रकरण में दो व्यापक प्रसार के समाचार पत्रों में सीधी भर्ती से रिक्त पदो को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाय तथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता में प्राप्त प्राप्तांक के प्रतिशत तथा प्रत्येक उच्च डिग्री जो उस विषय से सम्बन्धित हों में प्राप्त प्राप्तांक का दस प्रतिशत जोड कर अंक दिया जाय तथा कम्प्युटर से संबन्धित योग्यता हेतु कम्प्युटर विशेषज्ञ द्वारा अधिकतम् 50 अंक में मूल्यांकन किया जाय। इसके अतिरिक्त 20 अंक का साक्षात्कार लेकर श्रेष्ठता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाय ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16- (1) लेखा लिपिक / लेखा लिपिक (रोकड़), सहायक लेखाकार / सहायक लेखाकार (रोकड़) हेतु नियम–5(ख) के अनुसार तथा

(2) लेखाकार / लेखाकार (रोकड़) हेतु नियम–5(ग) के अनुसार सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी के द्वारा निम्न प्रकार से चयन समिति गठित करके सीधी भर्ती / पदोन्नति के द्वारा भर्ती की जायेगी :–

चयन समिति :– नियम–16(1)व(2) के लिये

1.	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी	अध्यक्ष
2	यदि जिलाधिकारी स्वंय अध्यक्षता करें तब मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी	सदस्य
3.	नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा नामनिर्दिष्ट जिले	सदस्य

के अनुसूचित जाति का राजपत्रित अधिकारी
जो श्रेणी–ख से निम्नतर न हो

4. कम्प्यूटर तकनीकि ज्ञान रखने वाले कम से कम श्रेणी –ख का राजपत्रित अधिकारी — सदस्य

(3) सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) हेतु नियम–5(घ) के अनुसार निदेशालय कोषागार एंव वित्त सेवायें उत्तरांचल के स्तर पर निम्न प्रकार से चयन समिति गठित करके पदोन्नति के द्वारा भर्ती पूर्ण की जायेगी :–

चयन समितिः– नियम–16(3)के लिये

1. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, वित्त / सचिव,वित्त द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो शासन में उप सचिव के स्तर से निम्नतर न हो — सदस्य
3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति का राजपत्रित अधिकारी जो श्रेणी –"क" से निम्नतर न हो — सदस्य

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी की पात्रता सूची समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति नियमावली के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा :–

परन्तु जहाँ दो या अधिक पोषक संवर्ग हों :–

(क) भिन्न–भिन्न वेतनमान होने पर उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा ।

(ख) समान वेतनमान होने पर अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने अपने अधिष्ठान में पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति / प्रोन्नति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेगें । किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति / प्रोन्नति का एक ही दिनांक हो तो पोषक संवर्ग से ठीक पूर्व पद पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक के अनुसार ज्येष्ठताक्रम में अभ्यर्थी की पात्रता सूची तैयार की जायेगी ।

(5) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है. ।

(6) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग - ६: - नियुक्ति, परिवीक्षा स्थाईकरण, प्रतिभूति एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति 17- (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 16 के उपनियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्ति करेगा ।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाँय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख प्रवीणता सूची के क्रम में किया जायेगा जैसा की उस संवर्ग में हो जिसमे से उन्हें पदोन्नत किया जाय ।

परिवीक्षा 18- (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण 19- किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

(क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसने विहित विभागीय ~~परीक्षा,~~ यदि कोई हो उत्तीर्ण कर ली हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय,
(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
(ड़) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

प्रतिभूति **20-** पदधारकों को रोकड़ के कार्य का अपना पदभार ग्रहण करने से पहले विहित बंध – पत्र/प्रतिभूति निष्पादित करना होगा। जैसा कि शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय ।

ज्येष्ठता **21-** एतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय उत्तरांचल ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2002 के अधीन रहते हुये, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जॉय तो उस क्रम से जैसे कि उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी ।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जॉय तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम –17 के उप नियम (1) व (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में रही हो ।

(3) प्रदेश के कोषागारों/उप कोषागारों में मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार/लेखाकार (रोकड) के पद पर प्रदेश स्तरीय एक ज्येष्ठता सूची, उत्तरांचल ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2002के अधीन रहते हुये उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल द्वारा तैयार की जायेगी । यदि एक से अधिक लेखाकारों की लेखाकार के पद पर नियुक्ति एक ही तिथि को हुई हो तो सहायक लेखाकार/सहायक लेखाकार (रोकड़) के पद पर पहले नियुक्त व्यक्ति उससे ज्येष्ठ माना जायेगा ।

2

भाग सात – वेतन इत्यादि

भाग 22- सेवा में कोषागार अधीनस्थ सेवा के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 23- (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो; जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 24- पद या सेवा के संबंध में लागू इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

2

अन्य विषयों का विनियमन 25-	ऐसे नियमों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें ।
सेवा की शर्तों में शिथिलता 26-	जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है । परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा ।
व्यावृति 27-	इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित हो ।

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,
वित्त ।